प्रेस नोट 07.11.2020

मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191, अन्य आपराधिक गिरोह, भू–माफिया, अवैध अतिक्रमण/निर्माण करने वालों के विरुद्ध जारी कार्यवाही अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.11.2020 को तमसा नदी के किनारे ग्रीन लैंड पर बनाये गये दो अवैध अतिक्रमण/निर्माण अनुमानित कीमत 90–90 लाख (कुल 01 करोड़ 80 लाख) को ध्वस्त कराया गया।

जनपद मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा अवैध भू–माफियाओंध्अवैध कब्जा/निर्माण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07.11.2020 कों नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्रीन लैंड बंधा रोड पर बने 02 अवैध भवनों अनुमानित कीमत लगभग 90–90 लाख (01 करोड़ 80 लाख) को ध्वस्त कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि मकसूद अहमद पुत्र अब्दुल सकूर व इरशाद पुत्र इश्तियाक निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली द्वारा तमसा नदी के किनारे बंधा रोड ग्रीन लैंड की जमीन पर एक–एक अवैध दोमंजिला मकान बनाया गया था, जिसके सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 17.03.2020 व 27.08.2020 को पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध उक्त दोनों द्वारा कलेक्टरधनियंत्रक प्रधिकारी मऊ न्यायालय में अपील की गयी थी, जिसको कलेक्टरधनियंत्रक प्रधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2020 को अपील निरस्त कर उक्त के ध्वस्तीकरण हेतु आर0बी0ओ0 एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियक्त गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 683/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त दयाशंकर पुत्र स्व0 रमाशंकर निवासी परसिया देवार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, गिरजाशंकर निवासी अईलख, कोमल निवासी चकरा, सूर्यभान, अनिकेत निवासीगण इटैली व दुखंती निवासी जमीन सहरुल्लाहपुर थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शिवचंद निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा निलेश निवासी खोजीपुर, उपेन्द्र व रामभुवाल निवासीगण सिसवा थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा शाकिर, बनीम व मो0 अमर निवासीगण पलिया, कमलेश कुमार व रामचन्द्र निवासीगण खीर खार थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र निवासी रणवीरपुर, रामदेव, देवानंद, अमरेश, अनूप राजभर निवासीगण अलीनगर, सुभाष, दूधनाथ निवासीगण बड़ागांव थाना सरायलखंसी मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 07.11.2020 को यातायात माह नवम्बर –2020 में यातायात प्रभारी संतोष यादव ,हमराह एचसीपी रमेश कुमार , हे0का0 सुनील सिंह, हे0का0 रमेश चन्द्र शुल्का,का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, होम गार्ड अमीर चन्द्र ,हो0गा0 प्रमोद कुमार , हो0गा0 बलवंत कुमार , पी0आर0डी0 राजेश गौड, के साथ आजमगढ़ मोड़, गाजीपुर मोड़, भीटी चौक, बलिया मोड़, मतलूपुर पर यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन वाहन चालक/स्वामी का का सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेश विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट मे कुल 115 वाहनो का चालान किया गया तथा 02 वाहन को पेपर न होने की वजह से सीज किया गया। जिसमे विना हेलमेट के 45, सीट बेल्ट–15, गलत नम्बर प्लेट पर 18, बिना डी0यल0 – 25 , मोबाईल फोन –07 तथा ध्वनि प्रदूषण मे –05 चालान की कार्यवाही की गयी ।